समक्ष न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प जबलपुर

रिवीजन प्रकरण कमांक ..../2018

(152)

निगरानी-4612/2018/ जबलपुर/ भू.रा.

रिवीजनकर्ता : 1- श्रीमति मूला बाई पटेल विधवा स्व0 राम शरण पटेल

2- श्रीमति भागवती बाई पटेल पति स्व0 बरजोर सिह

3- शैलेन्द्र पटेल पिता बालकृष्ण पटेल उम्र 30 वर्ष व्यवसाय- कृषि

4- बालकृष्ण पटेल पिता स्व0 रामचरण पटेल

सभी निवासी ग्राम पडोरा पोस्ट बरौदा तहसील पनागर जिला जबलपुर ।

[illegible] 25/7/18 25/7/18

विरूद्ध

उत्तरार्थीगण : 1- (मृत) मथुरा प्रसाद पटेल पिता स्व0 श्री जमुंना प्रसाद पटेल

2- श्रीमति अनुसूईया बाई पटेल पति स्व0 मथुरा प्रसाद पटेल उम्र 55 वर्ष

3- अमर जीत पटेल पिता स्व0 मथुरा प्रसाद पटेल ।

4- रणजीत पिता स्व0 मथुरा प्रसाद पटेल उम्र 37 वर्ष

5- श्रीमति सरस्वती बाई पिता स्व मथुरा प्रसाद पटेल उम्र 42 वर्ष

उपरोक्त सभी निवासी - कडारीकला तहसील पनागर जिला जबलपुर ।

OATH COMMISSIONER, THE HIGH COURT, JABALPUR 24/7/18

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959

रिवीजनकर्ता गण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 0838/ अपील / 2016-2017 में पक्षकार मथुरा प्रसाद पटेल (मृत) द्वारा श्रीमति अनुसुईया बाई एवं अन्य विरूद्ध मूला बाई में पारित आदेश दिनांक 29.6.2018 से क्षुब्ध होकर यह रिवीजन माननीय न्यायालय के समक्ष परस्तुत कर रहे है कि :-

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 4612/2018/जबलपुर/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-8-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुशील मिश्रा उपस्थित। अनावेदक केवियेटकर्ता श्री मुकेश अग्रवाल उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 0838/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29–6–2018 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण के पिता स्व0 मथुरा प्रसाद पटेल पिता स्व0 श्री जमुना प्रसाद पटेल को दिनांक 26.10.63 को उनके पक्ष में एक वसीयत स्व0 कंधीलाल द्वारा लिखी गई थी क्यों कि कंधीलाल बेऔलाद थे। इसी बसीयत के आधार पर अनावेदकगण के पिता स्व0 मथुरा प्रसाद द्वारा कंधीलाल के हक व स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 223, 217, 225, 257 रकबा कमशः 3.26, 1.38, 0.32, 0.31 कुल रकबा 5.27 हैक्टेयर भूमि जो मौजा पड़ोरा पटवारी हल्का नंबर 4 राजस्व निरीक्षक मण्डल पनागर बन्दोवस्त नंबर 219 तहसील पनागर जिला जबलपुर में स्थित भूमि स्व0 नोनी बाई का नामांतरण हुआ था। इससे दुखित होकर अनावेदकगण के पिता स्व0 मथुरा प्रसाद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 44/अ–6/98–99 प्रस्तुत की गई जो	

आदेश दिनांक 30.09.2000 तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया। इससे दुखित होकर अनावेदकगणों द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 699/अ-6/2000-01 पर दर्ज हुई, जिसमें अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 1.5.03 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर को प्रत्यावर्तित किया कि वह उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर एवं वसीयतनामों के अनुसार सााक्ष्य के आधार पर विधि संगत आदेश पारित करें, इससे परिवेदित होकर राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 746-चार/2003 पर दंर्ज होकर उसमें पारित आदेश दिनांक 29.9.2005 द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की गई।

2-अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 696/अ-6/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2003 के तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर द्वारा दिनांक 12.9.06 को सुनवाई प्रारंभ की गई और दिनांक 14.7.17 को अनावेदकगण की अपील निरस्त की गई जिससे दुखित होकर उनके द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 0838/अपील/2016-17 पर दर्ज की जाकर दिनांक 29.6.18 को आदेश पारित करते हुये अनावेदकगण की अपील स्वीकार की गई जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3-आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय

के समक्ष अनावेदकगणों के द्वारा प्रस्तुत अपील में यह निवेदन ही नहीं किया गया था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि के सिद्वांत के विपरीत जाकर आदेश पारित किया गया है जो कि विधि की गंभीर भूल की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में लिखित तर्क में यह निवेदन किया गया था कि अनावेदकगणों को वसीयत दिनांक 26.10.96 के अनुसार स्व0 नोनी बाई के हक व स्वामित्व की भूमि में कोई अधिकार प्राप्त है?, तथा अनावेदकगण उक्त वसीयत के आधार पर नामांतरण कराकर राजस्व रिकार्ड में भूमि स्वामी के रूप में अपना नाम स्व0 नोनी बाई के स्थान पर दर्ज कराने की पात्रता रखते हैं? इस संबंध में अनावेदकगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा अपील प्रकरण में हितबद्व पक्षकार को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है जबकि उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शैलेन्द्र पटेल पिता बालकृष्ण पटेल के नाम से दर्ज है लेकिन अनावेदकगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में जान बूझकर उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है जबकि उक्त संपत्ति शैलेन्द्र पटेल पिता बालकृष्ण पटेल एवं बालकृष्ण पटेल पिता स्व0 राशरण पटेल के नाम मूला बाई एवं भागवती बाई द्वारा की जा चुकी है तथा राजस्व अभिलेखों में शैलेन्द्र पटेल पिता स्व0 बालकृष्ण पटेल एवं बालकृष्ण पटेल पिता स्व0 राम शरण पटेल के नाम दर्ज है। आवेदकगणों के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने

लिखित तर्को में यह भी उल्लेख किया था कि शैलेन्द्र पटेल पिता स्व0 बालकृष्ण पटेल एवं बालकृष्ण

पटेल पिता स्व0 राम शरण पटेल हितबद्व पक्षकार हैं उनको भी पक्षकार बनाया जावे, तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को पक्षकार बनाये बिना ही अधिकारिता विहीन आदेश पारित कर दिया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपर आयुक्त जबलपुर का आदेश दिनांक 29.6.18 निरस्त किया जाकर प्रकरण अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जावे जिससे हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर मिल सके।

4—अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर विधिवत आदेश पारित कर प्रकरण का निराकरण करना था किन्तु निम्न न्यायालय ने उक्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर आदेश के समय विचार नहीं किया जिससे आलोच्य आदेश निरस्त काबिल था इसी लिये अपर आयुक्त जबलपुर द्वारा उक्त आदेश निरस्त किये थे और विधि संगत आदेश पारित किया गया था। अनावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त कर अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जावे।

4—उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो निगरानी मेमों में उल्लेखित किया गया है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया

गया, अध्ययन से प्रतीत होता है कि अपर आयुक्त जबलपुर के आदेश दिनांक 3.5.03 के तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर द्वारा प्रकरण में पुनः सुनवाई प्रारंभ कर अनावेदकगण के पिता स्व0 मथुरा प्रसाद द्वारा अपने पक्ष की वसीयत दिनांक 29.10.1963 की अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की, अनावेदकगण के पिता स्व0 मथुरा प्रसाद का यह अभिवचन (कथन) था कि स्व0 कंधीलाल की औलाद थे आजा (दादा) स्व0 कंधीलाल की पत्नी स्व0 नोनी बाई ने उसे बचपन में गोद पुत्र बनाकर अपने पास रखकर पालन पोषण इत्यादि किया। स्व0 कंधीलाल ने दिनांक 26.10.1963 को वसीयत लेख की गई है उसी के आधार पर भूमि खसरा नंबर 223, 217, 225, 257 रकबा क्रमशः 3.26, 1.38, 0.32, 0.31 कुल रकबा 5.27 हैक्टेयर भूमि जो मौजा पड़ोरा में स्थित है उसी का राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराना चाहता है।

5–आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर के न्यायालय में दिनांक 8.10.94 एवं 16.12.1972 की दो वसीयतें प्रस्तुत की गई हैं, वसीयत दिनांक 16.12.1972 स्व0 नोनी बाई विधवा कंधीलाल पटेल के द्वारा अपने सगे भाई रामशरण एवं हल्के उर्फ बरजोर के पक्ष में वसीयत दो गवाहों के समक्ष वसीयत निष्पादित की गई थी, आवेदक मूलाबाई, एवं भागवती बाई के पक्ष में श्रीमति स्व0 नोनी बाई के द्वारा दिनांक 08.10.94 को पुनः वसीयत लिखी गई थी उक्त वसीयत दिनांक को आवेदकगण मूलाबाई, एवं भागवती बाई के पक्ष में लिखे जाने का कारण दर्शित किया गया है जो कि

पूर्व में लिखी वसीयतग्रीहता रामशरण एवं हल्के उर्फ बरजोर की मृत्यु होने से वसीयतग्रहीता की वैधानिक पत्नी अर्थात् मूलाबाई, एवं भागवती बाई के नाम वसीयत दिनांक 08.10.94 को लिखी गई। अपर आयुक्त जबलपुर द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर ने अपने आदेश दिनांक 14.7.17 के पैरा 16 में लेख किया गया है कि " **उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्य से भी यह अपीलार्थीगण द्वारा सिद्व नहीं किया गया है उसे स्व0 कंधीलाल एवं को पुत्र के रूप में स्व0 नौनी बाई ने गोद लिया गया था"** अपर आयुक्त जबलपुर द्वारा इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है कि वर्तमान में राजस्व अभिलेख में नाम शैलेन्द्र पटेल पिता स्व0 बालकृष्ण पटेल एबं बालकृष्ण पटेल पिता स्व0 राम शरण पटेल अंकित है। राजस्व अभिलेख में नाम अंकित होने से वह हितबद्व पक्षकार हैं और प्रकरण में उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे वह अपना पक्ष समर्थन नहीं कर सके। इसलिये अपर आयुक्त जबलपुर का आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 0838/अपील/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 29—6—2018 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अपर आयुक्त जबलपुर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में शैलेन्द्र पटेल एवं बालकृष्ण पटेल का नाम होने से वह हितबद्व पक्षकार हैं

प्रकरण कमांक निगरानी 4612 / 2018 / जबलपुर / भूरा

इसलिये शैलेन्द्र पटेल पिता स्व0 बालकृष्ण पटेल एवं बालकृष्ण पटेल पिता स्व0 राम शरण पटेल को सूचना, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य